रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 20—मई 26, 2017 (वैशाख 30, 1939)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20—MAY 26, 2017 (VAISAKHA 30, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	541
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	451
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	3
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	691
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	5405
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	91
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	813
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	541
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	451
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	691
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	5405
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	91
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	813
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 2017

सं. 86-प्रेज/2017—भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में दिनांक 12 दिसम्बर, 2015 को प्रकाशित इस सचिवालय की सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से संबंधित दिनांक 15 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या 111-प्रेज/2015 के हिन्दी रूपांतरण में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

क्रम संख्या 528 में

श्री संजय कुमार त्रिवेदी, सहायक उप निदेशक, आसूचना मुख्यालय, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली - के स्थान पर

श्री संजय कुमार त्रिवेदी, अतिरिक्त उप निदेशक, आसूचना मुख्यालय, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली - पढ़ा जाए।

अ. राय
विशेष कार्य अधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2017

शुद्धिपत्र

सं. 10/6/2016-SC—दिनांक 27 मार्च 2017, के भारत के राजपत्र साप्ताहिक (1 अप्रैल-7 अप्रैल, 2017) सं. 13, के भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशित वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के पैरा 3, 6 एवं 8 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :–

''3. योजना परिव्यय:- यह प्रस्ताव है कि इस योजना में 600 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का एक वार्षिक परिव्यय होगा । अनुमोदित अनुदान का 5% समीक्षा, पुनरीक्षण एवं निगरानी खर्च के लिए प्रयुक्त '' को निम्नवत पढा जाएगा :

''3. योजना परिव्यय:- यह प्रस्ताव है कि इस योजना में 600 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का एक वार्षिक परिव्यय होगा ''

''6. कार्यान्वयन एजेंसियां: केन्द्रीय सरकार की एजेंसियाँ, राज्य सरकार की एजेंसियां निर्यात संवर्धन परिषदें, कमोडिटी बोर्ड, भारत सरकार की एक्जिम नीति के तहत मान्यता प्राप्त शीर्ष व्यापार निकाय, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की पात्र होगीं और उन्हें कार्यान्वयन एजेंसियां माना जाएगा । प्रमुख स्टेक हॉल्डिंग के साथ उपर्युक्त कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजनाएं और पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाएं भी पात्र हैं ।'' को निम्नवत पढ़ा जाएगा :

''6. कार्यान्वयन एजेंसियां: केन्द्रीय सरकार की एजेंसियाँ, भारत सरकार की एक्जिम नीति के तहत मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों सहित शीर्ष व्यापार निकाय और राज्य सरकार के स्वामित्व अधीन एजेंसियां इस योजना के तहत वित्तीय

सहायता की पात्र होगीं और उन्हें कार्यान्वयन एजेंसियां माना जाएगा । प्रमुख स्टेक हॉल्डिंग के साथ उपर्युक्त कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजनाएं और पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाएं भी पात्र हैं ।"

"8. वित्तीय सहायता: केन्द्रीय सरकार से सहायता, सामान्यत: सहायता अनुदान के रूप में होगी जो कुल परियोजना लागत में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी जा रही इक्विटी के समान होगी (अर्थात अन्य राज्यों में कुल इक्विटी के 50 प्रतिशत तक और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में स्थित परियोजनाओं के लिए इक्विटी के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं) । इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के योगदान के परिमाण की गणना करने के उद्देश्य के लिए भूमि की लागत को परियोजना लागत में नहीं किया जाएगा। सामान्यत: प्रत्येक परियोजना के लिए सहायता अनुदान 20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा ।

चमड़ा, वस्त्र, इलेक्ट्रानिक, आईटी आदि जैसी परियोजनाओं जिन्हें क्षेत्र विशिष्ट स्कीमों के अंतर्गत कवर किया जा सकता है, और जो निर्यात से संबंधित नहीं है, उन परियोजनाओं को टीआईईएस के अंतर्गत सहायता नहीं दी जाएगी।

सृजित परिसंपत्तियों को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों, लाभ भुगतान और प्रयोग प्रभारों द्वारा अनुरक्षित तथा संचालित किया जाएगा।" को निम्नवत पढ़ा जाएगा :

"8. वित्तीय सहायता: केन्द्रीय सरकार से सहायता, सामान्यत: सहायता अनुदान के रूप में होगी जो कुल परियोजना लागत में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी जा रही इक्विटी के समान होगी (अर्थात अन्य राज्यों में कुल इक्विटी के 50 प्रतिशत तक और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में स्थित परियोजनाओं के लिए इक्विटी के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं) । इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के योगदान के परिमाण की गणना करने के उद्देश्य के लिए भूमि की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा । सामान्यत: प्रत्येक परियोजना के लिए सहायता अनुदान 20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा ।

चमड़ा, वस्त्र, इलेक्ट्रानिक, आईटी आदि जैसी परियोजनाओं जिन्हें क्षेत्र विशिष्ट स्कीमों के अंतर्गत कवर किया जा सकता है, और जो निर्यात से संबंधित नहीं है, उन परियोजनाओं को टीआईईएस के अंतर्गत सहायता नहीं दी जाएगी।

सृजित परिसंपत्तियों को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों, कर भुगतान और प्रयोग हेतु प्रभारों द्वारा अनुरक्षित तथा संचालित किया जाएगा ।"

संजय चड्डा
संयुक्त सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 2017

कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीतिगत ढांचा

सं. ओ-19018/7/2016/ओएनजी-I—कोल बेड मिथेन (सीबीएम) सहित प्राकृतिक गैस के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने और गैस अर्थव्यवस्था का संवर्धन करने के लिए, सरकार ने कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता देने और प्रचालनात्मक मुद्दों को सरल और कारगर बनाने करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार एतदद्वारा सीबीएम गैस के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीतिगत ढांचे को निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

1. विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता

1.1 सीबीएम ब्लाकों के संविदाकारों को घरेलू बाजार में आर्म्स लैंथ मूल्य पर सीबीएम बेचने के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया गया है। आर्म्स लैंथ बिक्रियों के लिए बाजार मूल्य का पता लगाते समय, संविदाकार को सीबीएम की बिक्री के लिए पूर्णतया पारदर्शी और प्रतिस्पर्द्धी प्रक्रिया इस उद्देश्य के साथ सुनिश्चित करनी है कि बिना किसी प्रतिबंधात्मक वाणिज्यिक पद्धतियों के, इस संविदा के सभी पक्षकारों के लाभ के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त किया जाए। संविदाकार द्वारा एक विज्ञापन/निविदा आमंतरण नोटिस (एनआईटी)/ई-निविदा को कम से कम एक स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में और एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में और अन्य उपयुक्त इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बिक्री के लिए उपलब्ध सीबीएम की गुणवत्ता और मात्रा का उल्लेख हो, व्यापक रूप से अधिसूचित कराया जाए। क्रेता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले बिक्री करार की मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ मूल्यांकन मानदंड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी और इस प्रक्रिया में सभी संभावित क्रेताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए

कम से कम 15 दिन का समय देना होगा। क्रेताओं के साथ किए जाने वाले अंतिम करार के संबंध में जानकारी संविदाकार की/ऑपरेटर की वेबसाइट पर दी जाएगी और डीजीएच/सरकार को भी सूचित किया जाएगा।

1.2 नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश, 2014 के तहत पेट्रोलियम आयोजना विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा अधिसूचित मूल्य से बाजार का खोजा गया मूल्य कम होने की स्थिति में, रायल्टी और उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी),पीएलपी के आधार पर किया जाएगा।

1.3 इन दिशा निर्देशों की अधिसूचना पर, नए घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश, 2014 और इससे पहले समय-समय पर घोषित गैस उपयोग नीति सीबीएम गैस पर लागू नहीं होगी।

1.4 'सरकार का हिस्सा' निर्धारित करने के लिए न्यूनतम मूल्य के साथ-साथ विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता के संबंध में नए प्रावधान उन ब्लाकों पर भी लागू होंगे, जहां मूल्य निर्धारण सूत्र/आधार सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। इस नीति के अनुसरण में इससे पहले जारी किए गए किसी भी आदेश को वापस लिया गया समझा जाएगा।

1.5 पैरा 1.1 में यथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद संविदाकार द्वारा किसी क्रेता का पता नहीं लगा पाने की दशा में,संविदाकार के किसी संबद्ध संविदाकार को सीबीएम की बिक्री करने की अनुमति दी गई है। संबद्ध संविदाकार को बिक्री किए जाने के कारणों और संबद्ध संविदाकार के साथ किए गए अंतिम करार से संबंधित सूचना को संविदाकार की/ऑपरेटर की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा और डीजीएच/सरकार को भी सूचित किया जाएगा।

2. संविदात्मक मुद्दे

महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजी, डीजीएच) नोटिस अवधियों, वार्षिक कार्य कार्यक्रम और बजटों में होने वाले विलंब को माफ करने के लिए और राज्य और केन्द्र सरकार से मिलने वाली स्वीकृतियों के संबंध में क्षम्य विलंबों को अनुमोदित करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। डीजी, डीजीएच ऐसे मामलों का निपटान नीचे दी गई समय सीमाओं के भीतर करेगा:-

2.1 अधूरे न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) की लागत का भुगतान करने के बाद परवर्ती चरण में प्रवेश

अन्वेषण अवधि के पूर्ववर्ती चरण के अधूरे कार्यक्रम की लागत का भुगतान सरकार को करने के बाद अन्वेषण के दूसरे चरण के एमडब्ल्यूपी को करने के लिए संविदाकार को अनुमति दी गई है।

2.2 अगले चरण में प्रवेश करने के लिए या चरण I से चरण III में चरण के विस्तार के लिए नोटिस प्रस्तुत करने में विलंब माफ करना।

डीजीएच अगले चरण में प्रवेश करने के लिए संविदाकार द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के संबंध में नोटिस देने के लिए 90 दिन तक की अवधि माफ करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। तथापि, ऐसी माफी को चरण के विस्तार के रूप में नहीं समझा जाएगा।

2.3 वार्षिक कार्य कार्यक्रम और बजट को प्रस्तुत करने में विलंब माफ करना

डीजीएच वार्षिक कार्य कार्यक्रम और बजट की प्रस्तुति के लिए 90 दिन की अवधि तक का विलंब, जिसके लिए संविदाकार द्वारा कारण दर्ज कराए जाएंगे, माफ करने के लिए शक्ति प्रदत है। तथापि ऐसे माफी को चरण के विस्तार के रूप में नहीं समझा जाएगा।

2.4 भूमि अधिग्रहण/अपरिहार्य मुद्दों अथवा प्रचालक के नियंत्रण से परे अन्य ऐसे किसी मामले के चलते विकास चरण में माफी योग्य विलंब।

स्पष्ट विलंबों की पुष्टि होने के बाद भूमि अधिग्रहण/अपरिहार्य स्थिति अथवा प्रचालक के नियंत्रण से परे ऐसे किसी अन्य मामले के कारण विकास चरण में, माफी योग्य विलंबों को अनुमोदित करने के संबंध में डीजीएच को, अनवुर्ती चरणों को अलग रखते हुए, शक्तिप्रदत्त बनाया गया है।

2.5 न्यूनतम कार्य कार्यक्रम में कटौती

यदि सरकार द्वारा किसी कारण के चलते संविदागत क्षेत्र को कम किया जाता है, डीजीएच को संविदागत क्षेत्र के अनुपातिक रूप से न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) को कम करने के लिए शक्तिप्रदत्त बनाया गया है। यदि

संविदाकार संविदागत क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लेता है, तो संविदाकार के लिए अधूरे कार्य कार्यक्रम (सीओयूडब्ल्यूपी) की लागत का भुगतान किए बिना संविदा छोड़ने का विकल्प खुला होगा।

2.6 संविदा की प्रभावी तारीख

यदि किसी ब्लॉक में राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) प्रदान किए जाने में दो (2) वर्षों से अधिक विलंब होता है और यदि संविदाकार सीबीएम ब्लॉक छोड़ने के विकल्प का चयन करता है, तो उसे अधूरे कार्य कार्यक्रम (सीओयूडब्ल्यूपी) की लागत का भुगतान किए बिना संविदा छोड़ने की इजाजत होगी।

2.7 राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरियों के संबंध में अनुमति प्रदान न करना/विलंब से प्रदान करना

मंजूरियां प्रदान करने में अत्यधिक विलंब अर्थात किसी ब्लॉक में (2) दो वर्षों से अधिक का विलंब होने की स्थिति में, संविदाकार यदि सीबीएम ब्लॉक छोड़ने के विकल्प का चयन करता है, तो उसे पूरा नहीं किए गए कार्य कार्यक्रम (सीओयूडब्ल्यूपी) की लागत का भुगतान किए बिना संविदा छोड़ने की इजाजत होगी। डीजीएच को ऐसे मामलों की समीक्षा और जांच करने और संविदाकार द्वारा सीबीएम संविदा को छोड़ने के विकल्प को अनुमोदित करने के लिए शक्तिप्रदत्त बनाया गया है।

2.8 अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत का परिकलन

अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत का परिकलन करने के लिए, 0.25 मिलियन अमरीकी डालर प्रति महत्वपूर्ण कूप छिद्र तथा 0.6 मिलियन अमरीकी डालर प्रति परीक्षण कूप तथा प्रायोगिक कूप की एक निर्धारित राशि अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत मानी जाएगी और इसका कूप गहराई से कोई सरोकार नहीं होगा तथा सभी सीबीएम ब्लॉकों के लिए यह समान रूप से लागू होगी। महत्वपूर्ण कूप छिद्रों के वेधन के बाद सीबीएम ब्लॉक में यदि संभाव्यता में कमी पाई जाती है, तो ब्लॉक में परीक्षण/प्रायोगिक कूपों के वेधन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में, डीजीएच को तकनीकी आवश्यकता के आधार पर परीक्षण/प्रायोगिक कूपों की लागत को छोड़ने का प्राधिकार प्राप्त है। एमडब्ल्यूपी के भाग के रूप में संविदा के अनुच्छेद 5 में यथा निर्दिष्ट 'अन्य कर्यों' तथा परीक्षण/अध्ययनों को चरण-I और चरण-II के अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत का परिकलन करने में विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण कूप छिद्र तथा परीक्षण कूप तथा प्रायोगिक कूप के लिए सीओयूडब्ल्यूपी के परिकलन करने में 'अन्य कार्यों' के मूल्य प्रभाजित होते हैं।

2.9 सीबीएम संविदा के अनुसार प्रस्तुतिकरण के लिए सूचना अवधि की छूट

डीजीएच को सीबीएम संविदाओं में विभिन्न सूचना अवधियों के प्रस्तुतिकरण में विलंबों की समीक्षा और जांच करने के लिए शक्तिप्रदत्त बनाया गया है।

2.10 सीबीएम संविदाओं के क्रियान्वयन में प्रचालनीय मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) की भूमिका का विस्तार

सीबीएम से संबंधित मामले, जब कभी ईसीएस को भेजे जाते हैं, उन्हें अनुमोदित करने के लिए ईसीएस की भूमिका में सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस), वित्त सचिव, सचिव (कोयला) और सचिव (विधि) शामिल हैं।

3.0 यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

आदेश

आदेश किया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासन, लोक सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को संप्रेषित की जाए।

यह भी आदेश किया जाता है कि अधिसूचना को भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशन किया जाए।

अमर नाथ
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd May 2017

No. 86-Pres/2017—The following amendment is made in the Hindi version of this Secretariat Notification No. 111-Pres/2015, dated the 15th August, 2015 published in Part-I Section-1 of the Gazette of India on the 12th December, 2015 relating to the award of Police Medal for Meritorious Service :—

At. S. No. 528

For - Shri Sanjay Kumar Trivedi, Assistant Deputy Director, IB Hqrs, New Delhi

Read - Shri Sanjay Kumar Trivedi, Additional Deputy Director, IB Hqrs, New Delhi

A. RAI
Officer on Special Duty

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 9th May 2017

CORRIGENDUM

No. 10/6/2016-SC—In the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry's Notification published in Part-I, Section-1, of the Gazette of India Weekly (April 1- April 7, 2017) No. 13, dated the 27 March, 2017, the following corrections in paras 3, 6 and 8 have been made :—

"3. Scheme outlay: It is proposed to that the scheme would have a budgetary allocation of Rs. 600 Cr. with an annual outlay of Rs. 200 Cr. per year. 5% of the grant approved used for appraisal, review and monitoring expenses"

shall be read as:

"3. Scheme outlay: It is proposed to that the scheme would have a budgetary allocation of Rs. 600 Cr. with an annual outlay of Rs. 200 Cr. per year."

"6. Implementing agencies: Central Government Agencies, State Government Agencies, Export Promotion Councils, Commodities Boards, Apex Trade Bodies recognised under the EXIM policy of Government of India shall be eligible for financial support under this Scheme and will be known as Implementing Agencies. Projects of above implementing agencies with major stake holding and implemented under PPP model are also eligible."

Shall be read as

"6. Implementing agencies: Central Government Agencies including Export Promotion Councils, Commodities Boards, Apex Trade Bodies recognised under the EXIM policy of Government of India and State Government owned agencies shall be eligible for financial support under this Scheme and will be known as Implementing Agencies. Projects of above implementing agencies with major stake holding and implemented under PPP model are also eligible"

"8. Financial assistance: The Central Government assistance will in form of grant-in-aid normally matching upto the equity being put in by the implementing agencies in the total project cost (i.e. upto 50% of the total equity in other states and not more than 80% of the equity for projects located in North East and Himalayan States). The cost of land shall not be included in the project cost for the purpose of calculating the extent of contribution of the implementing agency under the Scheme. The grant-in-aid shall be subject to a ceiling of Rs. 20 Cr. normally for each of the project.

Projects which can be covered under sector specific schemes like the leather, textiles, electronics, IT etc. and not related to exports will not be supported under TIES.

The assets created are to be maintained and operated by the implementing agencies through their own resources, leveraging Pay and Use charges."

Shall be read as

"8. Financial assistance: The Central Government assistance will be in form of a grant-in-aid normally matching upto the equity being put in by the implementing agency in the total project cost (i.e. upto 50% of the total equity in project located in other states and not more than 80% of the equity for projects located in the North East and Himalayan States). The cost of land shall not be included in the project cost for the purpose of calculating the extent of contribution of the implementing agency under the Scheme. The grant-in-aid shall be subject to a ceiling of Rs. 20 Cr. normally for each of the project.

Projects which can be covered under sector specific schemes like the leather, textiles, electronics, IT etc. and not related to exports will not be supported under TIES.

The assets created are to be maintained and operated by the implementing agencies through their own resources, by levying Pay and Use charges."

SANJAY CHADHA
Joint Secretary

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 11th April 2017

Policy Framework for Early Monetization of Coal Bed Methane(CBM)

No. O-19018/7/2016/ONG-I—To develop alternate sources of natural gas including Coal Bed Methane (CBM) and promoting gas economy, Government has decided to provide marketing and pricing freedom for Coal Bed Methane (CBM), and streamline the operational issues. The Government of India hereby notifies the Policy Framework for Early Monetization of CBM Gas as hereunder:

1. Marketing and Pricing Freedom

1.1 It has been decided to provide marketing and pricing freedom to the Contractors of CBM blocks to sell the CBM at Arm's Length Price in the domestic market. While discovering the market price for Arms Length Sales, the Contractor has to ensure a fully transparent and competitive process for sale of CBM with the objective that the best possible price is realized, to the benefit of all parties to this Contract, without any restrictive commercial practices. An advertisement / Notice Inviting Tender (NIT) / e- Tender should be notified widely by the Contractor, in at least one local language daily newspaper and one English language national daily newspaper and other suitable electronic media, mentioning inter-alia the quality and quantity of CBM available for sale. Detailed information on the evaluation criteria to be used along with broad salient features of sale agreement to be executed by the buyer shall also be made known and at least 15 days time is to be allowed to ensure maximum participation of all likely buyers in this process. The information regarding the final agreement reached with the buyer shall be hosted on the Contractor's / Operator's website and also communicated to DGH / Government.

1.2 In the event of market discovered price being less than the price notified by the Petroleum Planning Analysis Cell (PPAC) under the New Domestic Natural Gas Pricing Guidelines, 2014, the royalty and Production Level Payment (PLP) shall be paid on the basis of the latter.

1.3 On notification of these guidelines, the New Domestic Gas Pricing Guidelines, 2014 and the Gas Utilization Policy announced earlier from time to time shall not be applicable to CBM gas.

1.4 These provisions regarding marketing and pricing freedom along with the minimum price for determining the 'Government take' shall also be applicable to the blocks where pricing formula/basis has been approved earlier by the Government. Any order issued earlier not in consonance with this policy will be treated as withdrawn.

1.5 Sale of CBM to any Affiliate of the Contractor is permitted, in the event the Contractor cannot identify any buyer following the procedure as stipulated in para 1.1. The information regarding the reasons for sales to Affiliate and the final agreement reached with the Affiliate shall be hosted on the Contractor's / Operator's website and also communicated to DGH/ Government.

2. Contractual Issues

Director General, Directorate General of Hydrocarbons (DG,DGH) is empowered for condoning the delays in notice periods, annual work program and budgets and to approve the excusable delays regarding clearances from State and Central Government. The DG, DGH will dispose such cases within the time-limits below:

2.1 Entry into subsequent Phase, after paying cost of Unfinished Minimum Work Programme (MWP)

Contractor is allowed to carry out MWP of second phase of exploration after paying the cost of unfinished work program of previous phase of exploration period to the Government.

2.2 Condoning delays in submission of notice for entering into next phase or for the Extension of Phase in Phase-I to Phase-III

DGH is empowered to condone delays up to a period of 90 days for giving notice for entering into the next phase, for reasons to be recorded by the Contractor. However, such condonation shall not be construed as Extensions of Phase.

2.3 Condoning delays in submission of Annual Work Program and Budget

DGH is empowered to condone delays up to a period of 90 days for submission of Annual Work Program & Budget from which reasons are to be recorded by the Contractor. However, such condonation shall not be construed as extension of a phase.

2.4 Excusable delay in development phase due to land acquisition/force majeure issues or any other such matter beyond the control of Operator

DGH is empowered to approve the excusable delays, without set off from subsequent Phases, in development phase due to Land Acquisition/Force Majeure condition or any other such matter beyond the control of Operator after confirming demonstrable delays.

2.5 Reduction in minimum work programme

DGH is empowered to reduce Minimum Work Programme (MWP) in proportion to the contract area if contract area is reduced by Government for any reason. If the Contractor decides not to accept any reduction in contract area, the Contractor would be permitted to exercise exit option from the contract without payment of Cost of Unfinished Work Programme (COUWP).

2.6 Effective date of the contract

If delay in grant of Petroleum Exploration License (PEL) exceeds two (2) years from the State Governments in any Block, the Contractor if exercises exit option from the CBM Block, will be permitted to exit without paying cost of unfinished work program.

2.7 Non-grant or delayed permission of clearances by State Government and Central Government

In cases of inordinate delays in granting clearances i.e. beyond two (2) years in any block, the Contractor if exercises is exit option, will be permitted to exit from the contract without paying Cost of Unfinished Work Programme. DGH is empowered to review and examine such cases and approve exit option exercised by the Contractor from the CBM Contract.

2.8 Calculation of Cost of Unfinished Work Program

For Calculation of Cost of Unfinished Work Program, a fixed amount of USD 0.25 Million per corehole and USD 0.6 Million per test well as well as pilot well shall be considered as Cost of Unfinished Work Program irrespective of depth and will be uniformly applicable for all CBM Blocks. In case of low prospectivity observed in CBM block after drilling of core holes, then it is not required to drill test/pilot wells in the block. In such cases, DGH is authorized to waive off the cost of test/pilot wells depending upon technical requirement. 'Other works' and tests/studies as indicated in Article 5 of the Contract 'as part of MWP' shall not be considered for calculation of cost of unfinished work program of Phase-I and Phase-II as the value of 'Other works' has been factored in the computation of COUWP for Core hole and Test Well and Pilot well.

2.9 Relaxation of Notice Period for submission as per CBM Contract

DGH is empowered to review and examine delays in submission of various notice periods in CBM Contracts.

2.10 Extended Role for Empowered Committee of Secretaries (ECS) for resolution of operational issues in implementation of CBM Contracts.

The role of ECS comprising of Secretary (Petroleum & Natural Gas), Finance Secretary, Secretary (Coal) and Secretary (Law) is extended for approving the matters relating to CBM blocks as and when referred to ECS.

3.0 This Notification shall be effective immediately.

ORDER

Ordered that a copy of this notification be communicated to all the State Government/Union Territory Administration, Lok Sabha Secretariat and the concerned Ministries and Department of the Government of India.

Ordered also that the notification be published in the Gazette of India for information.

AMAR NATH
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

BANSHI DHAR DUBEY
Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2017.05.20 11:58:20 +05'30'